

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2480 / 2021

दिनांक : 16.11.2021

श्री प्रशान्त पूनियां (R.J1106), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा (टोंक) को दिनांक 29.11.2021 से 01.12.2021 तक 03 दिनों का उपाजित अवकाश दिनांक 27.11.2021 से 28.11.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री पूनियां की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा (टोंक) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा (टोंक) के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)


कमांक:—स्था.बी.2(4)/94/2016/7084

दिनांक 16.11.2021

प्रतिलिपि निम्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 8873 दिनांक 25.10.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्री प्रशान्त पूनियां (R.J1106), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा (टोंक) ।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा (टोंक) ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा (टोंक)।

सहायक रजिस्ट्रार


22-11-2021



कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक (राज.)

क्रमांक : स्था./2021/१६६६-१६६७

दिनांक : 23 /11 /2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा
2. श्री प्रशान्त पूनियां, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा
3. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा
4. सिस्टम ऑफीसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक को प्रेषित कर लेख है कि उक्त को जिला एवं सेशन न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
टोंक (राज.)